संख्या-39 /2016/1462/36-2-2016-7(जी)/2015

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।

2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

श्रम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 29 सितम्बर, 2016

विषय:- पात्र निर्माण श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीयन कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

1. जैसा कि आप अवगत है कि उ0प्र0भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु विभिन्न लाभकारी योजनायें संचालित की जा रही है जिससे ऐसे श्रमिकों तथा उनके आश्रितों के दुर्घटना, मृत्यु, गम्भीर बीमारी आदि की स्थिति में लाभान्वित कराया जा सके, उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा सके तथा ऐसे श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा पर होने वाले व्यय में मद्द की जा सके, परन्तु पात्र मनरेगा एवं अन्य निर्माण श्रमिकों द्वारा भी जानकारी के अभाव में पंजीकरण नहीं कराया जा रहा है अत: यह आवश्यक है कि पात्र निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु कार्यवाही की जाए तथ उनका शत प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किया जाए।

2. पात्र निर्माण श्रमिकों के शत प्रतिशत पंजीयन के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-18/2015/1621/छत्तीस-2-2015-7(जी)/2015 दिनांक 29-12-2015 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया था तथा इस उद्देश्य से जिलाधिकारियों को मुख्य समन्वयक अधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों (वित्त एवं राजस्व) नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त तथा विकास प्राधिकारिणों के नामित अधिशासी अभियन्ता, को नोडल अधिकारी नामित किया गया था।

3. पात्र निर्माण श्रमिकों के शत प्रतिशत पंजीयन कराने के संबंध में शासनादेश संख्या-18/2015/1621/छत्तीस-2-2015-7(जी)/2015 दिनांक 29-12-2015 द्वारा मनरेगा, ईट भट्ठों, विधायक/सांसद निधि, क्रिटिकल गैप निधि, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व मॉडल स्कूल योजनान्तर्गत निर्माणधीन स्कूल/ विद्यालय, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, इन्सिनिरेशन प्लान्टस व अन्य युवा कल्याण विभाग द्वारा निर्माणधीन खेलकूद काम्प्लेक्स व मैदान, नियोजनाधीन आंगनबाड़ी केन्द्र,समग्र

लोहिया ग्राम योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन सम्पर्क मार्ग, लोहिया आवास, सी0सी0 सड़कें, नाली व खड़ंजें, 13वें वित्त व राज्य वित्त से चल रहे निर्माण कार्य, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्माणाधीन शौचालय, रू-50 लाख से ऊपर के समस्त संचालित निर्माणाधीन परियोजनायें,रू-50 लाख से नीचे सेचालित समस्त निर्माण कार्य तथा इनके अतिरिक्त वह समस्त निर्माण कार्य जिनकी समीक्षा शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान की जाती है अथवा अन्य कोई भी निर्माण कार्य में कार्यरत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी तथा विकासखण्डों हेतु खण्ड विकास अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नामित करते हुए श्रमिकों के पंजीयन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी।

इस प्रकार ईट-भट्ठों पर कार्यरत श्रमिकों के पंजीयन हेतु अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी तथा सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी नामित करते हुए ईट-भट्ठों के पात्र मजदूरों के पंजीयन हेतु निर्देश जारी किए गए थे। नगर आयुक्त/ नामित अपर नगर आयुक्त अपने तैनाती जनपद के शहरी क्षेत्रों में संचालित सरकारी, गैर सरकारी निर्माणों में कार्यरत पात्र श्रमिकों के पंजीयन हेतु नोडल अधिकारी नामित किए गए थे तथा विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों द्वारा नामित अधिशासी अभियन्ताओं को विकास प्राधिकरण की सीमा में निर्मित होने वाले निर्माण स्थलों में कार्यरत पात्र श्रमिकों के पंजीयन हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुए पात्र मजदूरों के पंजीयन का निर्देश जारी किया गया था तथा जिन मामलों में विकास प्राधिकरण से निर्माण से पूर्व नक्शा स्वीकृत कराया जाना अनिवार्य है, उनसे नक्शा स्वीकृति के समय ही उपकर की धनराशि अग्रिम रूप में जमा कराने का निर्देश दिया गया था।

जनपदों में तैनात श्रम विभाग के अधिकारियों को नोडल/सहायक नोडल अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यवाही का निर्देश दिया गया था।

4. शासनादेश संख्या-18/2015/1621/छत्तीस-2-2015-7(जी)/2015 दिनांक 29-12-2015 द्वारा पात्र निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु जारी व्यवस्था पुनः इस आशय से प्रभावी की जाती है कि शत प्रतिशत पात्र निर्माण श्रमिकों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाये।

5. शासनादेश संख्या-302/36-2-2010-10/2010 लखनऊ दिनांक 26 मार्च, 2010 द्वारा लोक निर्माण विभाग, सिचांई, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, जल निगम, जल संस्थान, नगर निगम, नगर पालिका टाउन, विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, जिला परिषद के सहायक/अपर अभियन्ताओं को भी पात्र निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु पंजीयनकर्ता अधिकारी नामित किया गया है, परन्तु देखने में आ रहा है कि इन विभागों में कार्यरत पंजीयनकर्ता अधिकारियों द्वारा अपने विभागों में कार्य कर रहे निर्माण श्रमिकों का पंजीयन नहीं कराया जा रहा है जिससे निर्माण श्रमिक लाभ से वंचित रह जा रहे हैं। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है।

6. अत: सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने यहां कार्यरत पात्र निर्माण श्रमिकों का शत प्रातिशत पंजीयन कराना सुनिश्चित करें तथा इसकी मासिक सूचना संलग्न प्रारूप पर श्रम विभाग के स्थानीय कार्यालयों में अगले माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से देना सुनिश्चित करें। जिला स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा इसकी समीक्षा प्रत्येक माह नियमित रूप से की जाए तथा मासिक प्रगति विवरण श्रम विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

श्रम विभाग के अधिकारी उपरोक्त अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए अपेक्षित कार्यवाही करते हुए निर्माण श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीयन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव।

संख्या- 39/2016/1462(1)/36-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।
(2) प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त।
(3) समस्त उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण।
(4) समस्त मुख्य विकास अधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों से अपने जनपद के कार्यदायी संस्थाओं के अभियन्ताओं, निर्माण कार्यो से सम्बधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों एवं खण्ड विकास अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
(5) समस्त नगर आयुक्त।
(6) समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त सम्बन्ध में समस्त उप जिलाधिकरियों एवं तहसीलदारों को अवगत कराने का कष्ट करे।
(7) समस्त क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, श्रम प्रवर्तन अधिकारी (जनपदीय) को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि संबंधित जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) से सम्पर्क स्थापित कर उपरोक्त के संबंध में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
(8) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राजेन्द्र कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव।

निर्माण श्रमिक पंजीयन के संबंध में मासिक सूचना प्रेषण हेतु प्रारूप

जनपद का नाम :-

विभाग का नाम :-

माह :-

क्र 0 0सं	विभाग द्वारा जनपद में कराये जा रहें कार्यों में लगे निर्माण श्रमिकों की संख्या	विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे संविदाकारों का विवरण		पंजीयन की पात्रता में आवर्त निर्माण श्रमिकों की संख्या व 2 क्रमांक) (के सापेक्ष 3	माह में कराए गए पंजीयन के 4 क्रमांक) (सापेक्ष	पंजीयन शुल्क की रकम श्रम विभाग को प्राप्त कराने का दिनांक	पंजीयन प्रपत्र श्रम विभाग को प्राप्त करने का दिनांक	पंजीयन हेतु अवशेष श्रमिकों की संख्या
1	2	3		4	5	6	7	8
		नाम व पता	संविदाकार के माध्यम से कार्य कर रहे निर्माण श्रमिकों की संख्या					

दिनांक :

(अधिकारी का नाम व पदनाम)

ht p://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।